न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 133 / 2013 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 03.10.2013

उनवान

1. अणछाई पत्नी रामचन्द्र जाति लौहार निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पिता नारायण जाति गाडरी निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मु0 लेहरीबाई बेवा पिता नारायण जाति गाडरी निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कालु पिता भुरा जाति गाडरी निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हिरालाल पिता गंगाराम जाति गाडरी निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. तहसीलदार कपासन।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में विविरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पे प्रार्थना पत्र अप्तर्गत धारा 251 'क' इस आशय से प्रस्तुत किया की प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का मुगांना तहसील कपासन की आराजी संख्या 941 रकबा 0.62 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.62 हे0 स्थित है।

यह है कि उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एवं बैलगाडी भरी खाली टेक्टर ट्रोली, अप्रार्थी की अराजी न0 942 की दक्षिणी मेड पर होकर प्रवेश करता हुं, जो अप्रार्थी नही आने जाने देता है सो उक्त मौजा कल्याणपुरा की आ0 न0 942 से रास्ता दिलाया जावे इस बाबत प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया अप्रार्थी की ओर से वकील अशफाक अली ने अधिकार पत्र पेश किसर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 07.11.2017 को जवाब बन्द किया गया। व दिनांक 15.01.2019 को पत्रावली में सीधे हि बहस सुनी गई।

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट भू0उ0 नि0 के अनुसार आ0 स0 941 में जाने के लिए मौका व रेकार्ड देखने से जाहिर आया कि प्रार्थी वर्षो से ग्राम कल्यापुरा की आराजी न0 1006 चारागाह का उपयोग कर अराजी न0 941 में प्रवेश के बीच अराजी न0 942 आती है जो अप्रार्थी रामचन्द्र पिता नारायण मुतबन्ना लेहरीबाई पत्नी नारायण 1/3

Scanned by CamScanner

...लु पिता भुरा 1/3 , हिरालाल पिता गगांराम 1/3 गाडरी निवासी कल्याणपुरा के नाम ...र्ज है जिसे वर्षो से यही रास्ता काम में ले रहा है।

जो कि नक्शे में लाल स्याही से दर्शा रखी है। साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मौजा कल्याणपुरा प0ह0 मुगांना तहसील कपासन की आ0 स0 942 में से चौडाई दक्षिणभुज 50 मी0 के समान्तर 4 मी0 चौडाई जिसका क्षेत्रफल 50*4 मी0 200 व0 मी0 जो कि दिनांक 14.07.2015 के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार चिन्हित लालस्याही के रेखाकित भाग को हाल नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम हेतु अविलम्ब तरमीम करते हुए उक्त रास्ते के भू–भाग को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है।

साथ हि रिपोर्ट आईएलआर अनुसार उक्त भूमि संचित होने से डीएलसी अनुसार एक एयर की राशि 3960 बनती है 2 एयर की राशी 7920 बनती है जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 15840. रू0 देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को 1/3 ,1/3 रकम की अदायगी हेतु 15 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्त के पश्चात अर्थात 15 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकत का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये अवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(महावीर प्रसाद नायक)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Scanned by CamScanner